

राजस्थान राज्य एवं अन्य

प्रति

तालिब खान एवं अन्य आदि

24 अक्टूबर, 1996

(के० रामास्वामी, सुजाता वी मनोहर और जी०बी० पटनायक, न्यायमूर्तिगण)

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1908;

धारा 3, 8 - निरुद्धि - पांच दिनों की समाप्ति से पहले लेकिन दस दिनों की बाहरी सीमा के भीतर निरुद्धि के आधार दर्शित न करने के लिए दर्ज असाधारण परिस्थितियों और कारणों का अभाव- क्या निरुद्धि के आदेश को दूषित करता है - अवधारित : नहीं- उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करना विधिक रूप से अनुचित है कि मजिस्ट्रेट द्वारा असाधारण परिस्थितियों के कारण निरुद्धि करने के कारण को दर्शित न करना निरुद्धि के आदेश को दूषित बनाता है- भारत का संविधान- अनुच्छेद 22(5),

ए०के० रॉय बनाम भारत संघ और अन्य (1982) 1 एस सी सी 271= (1983) 1 एस सी आर 540, अनुपालित ।

इब्राहिम अहमद बट्टी बनाम गुजरात राज्य और अन्य, (1983) 1 एस सी आर 540= (1982) 3 एस सी सी 440, निरस्त ।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील नं० 419-31 ऑफ़ 1987 आदि ।

उच्च न्यायालय राजस्थान के डी०बी०सी० बंदी प्रत्यक्षीकरण पी० सं० 831,909,919,920-25,966,1030,1037 और 1987 का 1177, में दिनांक 09.06.87 के निर्णय और आदेश से ।

अपीलार्थियों की ओर से के०एस० भाटी।

उत्तरदाताओं की ओर से सुशील कुमार जैन, ए०पी० धमीजा, सूर्यकांत और एम०के० सिंह।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था:

यह प्रकरण इस पीठ को इस न्यायालय के 21 अगस्त, 1987 के आदेश के अनुसार, जिसमें कि इब्राहिम अहमद बट्टी बनाम गुजरात राज्य और अन्य [(1983) 1 एससीआर 540 = (1982) 3 एससीसी 440] की सत्यता पर संदेह किया गया है, सन्दर्भित किया गया है।

विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की डिवीजन बेंच द्वारा रिट याचिका संख्या 831/87 एवं बेंच में पारित निर्णय से उत्पन्न होती हैं।

तथ्य यह है कि प्रतिवादियों को जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर की दिनांक 07 जनवरी, 1987 की कार्यवाही द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 3(1) के तहत हिरासत में लिया गया था। बंदी को दस्तावेज व निरुद्धि के कारण की असाधारण परिस्थितियों को न दर्शाने की 11 जनवरी, 1987 को दर्ज किया गया था तथा 16 जनवरी, 1987 को प्रदान दस्तावेजों के साथ निरुद्धि का कारण बंदी को प्रदान किया गया। 20 जनवरी, 1987 को बंदी द्वारा राज्य सरकार को अपना अभ्यावेदन दिया था, जिसे 02 फरवरी, 1987 को खारिज कर दिया गया था। उसने 09 फरवरी 1987 को सलाहकार बोर्ड को अभ्यावेदन दिया था और इस पर विचार किया गया और 19 फरवरी, 1987 को खारिज कर दिया गया। राज्य सरकार ने 13 मार्च, 1987 को 07 जनवरी, 1987 से एक वर्ष की अवधि

के लिए हिरासत के आदेश की पुष्टि की। जब हिरासत के आदेशों को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गयी कि असाधारण परिस्थितियों और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किये गये कारणों के बारे में बंदी को सूचित नहीं किया गया था, हिरासत के आदेश को अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन माना गया और उच्च न्यायालय ने 09 जून, 1987 के आक्षेपित आदेश द्वारा प्रतिवादियों को हिरासत से मुक्त कर दिया। अन्य आधारों में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संदर्भ बट्टी के मामले में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिये गये विचार की शुद्धता पर है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री के०एस० भाटी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पूर्ण तैयारी और तथ्यों के विश्लेषण के बाद उच्च न्यायालय का और इस न्यायालय द्वारा बट्टी के मामले में लिया गया विधिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। अधिनियम के उद्देश्य और कारण उस गम्भीरता का खुलासा करते हैं जिसके तहत निरुद्धि का सहारा लिया जा सकता है। अधिनियम की धारा 03 और धारा 08 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय संतुष्ट है कि उसे राज्य की सुरक्षा व सार्वजनिक आदेश के रख-रखाव या समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करने से रोकने के लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है, तब वह उसे हिरासत में लेने का निर्देश देने वाला आदेश पारित कर सकता है। यदि धारा 8(1) में परिकल्पित पांच दिनों के भीतर आदेश की सूचना बंदी को नहीं दी जाती है, तो हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को उन कारणों और असाधारण परिस्थितियों को अभिलिखित करना होगा जिसके तहत बंदी को आदेश की सूचना नहीं दी जा सकी। और हिरासत के आदेश की तारीख से दस दिनों के भीतर हिरासत का कारण बंदी को दर्शाने होंगे। इस मामले में, यह ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें बंदी को गिरफ्तार करने का कारण दर्शित करना व असाधारण परिस्थितियों को भी दर्शाया जाए। बट्टी के मामले में अपनाया गया विचार कानून की दृष्टि से सही नहीं है। उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार जैन द्वारा यह तर्क दिया गया है कि बट्टी के मामले में इस न्यायालय का विचार और उच्च न्यायालय का विचार कानून में सही है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत, हिरासत में लिया गया व्यक्ति जल्द से जल्द अवसर पर अपनी स्वतंत्रता से वंचित होने के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने की दृष्टि से जितनी जल्दी हो सके, हिरासत के आधार प्रदान करने का हकदार है। जब तक हिरासत के आदेश की आपूर्ति न करने के कारणों और असाधारण परिस्थितियों को हिरासत के आधारों के साथ बंदी को सूचित नहीं किया जाता है तब तक बंदी को उचित सरकार या सलाहकार बोर्ड या न्यायालय के समक्ष प्रभावी प्रतिनिधित्व करने से रोका जायेगा। अतः हिरासत के आधार के साथ दर्ज की गयी असाधारण परिस्थितियों या कारणों का संचार एक पूर्व शर्त है। इसका अनुपालन न करना संविधान के अनुच्छेद 22(5) के उल्लंघन के समान है। इसलिए, यह विचार कानून की दृष्टि से सही है।

विविध तर्कों को ध्यान में रखते हुए, जो प्रश्न विचार के लिए उठता है वह यह है:— क्या बट्टी के मामले में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया विचार कानून के अनुसार सही है? यह अधिनियम विभिन्न कारणों से अधिनियमित किया गया था, जैसे, साम्प्रदायिक वैमनस्य की मौजूदा स्थिति, सामाजिक तनाव, उग्रवादी गतिविधियां, औद्योगिक अशांति और विभिन्न इच्छुक पार्टियों की ओर से विभिन्न मुद्दों पर आंदोलन चलाने की बढ़ती प्रवृत्ति; यह आवश्यक समझा गया कि देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति से सबसे दृढ़ और प्रभावी तरीके से निपटने की आवश्यकता है। अलगाववादी, सांप्रदायिक और जाति समर्थक तत्वों

सहित असामाजिक और राष्ट्र-विरोधी तत्व और अन्य तत्व जो समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, वैध प्राधिकारी के लिए गंभीर चुनौती पैदा करते हैं और कभी-कभी समाज को ऐसी स्थिति में पहुंचा देते हैं जिसका समाज के पास कोई विकल्प न हो। इसलिए समस्याओं की जटिलता और प्रकृति के देखते हुए, यह महसूस किया गया कि प्रशासन को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से रक्षा, सुरक्षा सार्वजनिक व्यवस्था और समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति या सेवाओं के रख-रखाव को बनाए रखने की आवश्यकता है। उपरोक्त कठिन स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए निर्धारित तरीके और क्षमताएं प्रदान करने के लिए अधिनियम लागू किया गया था। धारा 3 महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसके तहत राज्य को ऐसी शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। यदि केन्द्र या राज्य सरकार किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में इस बात से संतुष्ट है कि उसे भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबन्धों या भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी भी तरीके से कार्य करने से रोके जाने हेतु अथवा उस व्यक्ति के सम्बन्ध में संतुष्ट है कि उक्त व्यक्ति को राज्य की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से अथवा सार्वजनिक व्यवस्था के रख-रखाव के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से अथवा समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रख-रखाव के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तब, यह ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने का आदेश दे सकती है। इस अधिनियम के तहत विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के प्रति प्रदत्त सुरक्षा को रोका जा सकता है। हिरासत के आधार और उसके समर्थन में अन्य कारण, जब तक कि बाद में संवेदनशील और गोपनीय साक्ष्य/ सामग्री को छुआ न जाए, उसे यथाशीघ्र, आमतौर पर हिरासत की तारीख से 5 दिनों के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वह उपयुक्त सरकार आदि को प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो सके। अनुच्छेद 22(5) के अनुसार जो अनिवार्य है वह यह है कि हिरासत में लिए गये व्यक्ति को बिना किसी देरी के हिरासत के आधार और कारण सूचित किए जाने चाहिए। इसकी उपधारा (3) के तहत राज्य को ऐसी शक्ति, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को सौंपने की शक्ति दी गयी है। इस मामले में, जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर ने अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत उस शक्ति को प्रत्यायोजित किया था और अपनी व्यक्ति परक संतुष्टि का प्रयोग करते हुए धारा 3(2) के तहत हिरासत के आदेश पारित किये थे। हिरासत आदेश जारी होने के बाद अधिनियम की धारा 8(1) के तहत आदेश से प्रभावित व्यक्ति को हिरासत के आधार की जानकारी देना अनिवार्य है। उप-धारा (1) निम्नानुसार है:

“(1) जब किसी व्यक्ति को हिरासत के आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो आदेश देने वाला प्राधिकारी जितनी जल्दी हो सके, लेकिन आमतौर पर पांच दिनों से अधिक नहीं, उसे उन आधारों के बारे में बताएं जिन पर आदेश दिया गया है और हिरासत की तिथि से दस दिनों के भीतर उन कारणों को असाधारण परिस्थितियों को अभिलिखित करेगा न करने का कारण दर्शित करेगा जिस कारण को और उसे उचित सरकार को आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का जल्द से जल्द एक अवसर प्रदान करेगा।

अतः इसे पढ़ने से पता चलता है कि जब किसी व्यक्ति को उसके हिरासत आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो आदेश देने वाला प्राधिकारी जितनी जल्दी हो सके, लेकिन आमतौर पर पांच दिनों के बाद नहीं और असाधारण परिस्थितियों में हिरासत की तारीख से दस दिन के भीतर लिखित रूप

से दर्ज किया जाएगा, उसे उन आधारों के बारे में बताया जायेगा जिन पर आदेश दिया गया है और उसे उचित सरकार को आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन देने का जल्द से जल्द अवसर दिया जाएगा। धारा 8(1) वाक्यांश की सीमा और आयाम को परिचालित करती है। वाक्यांश "हिरासत के आधार बताने का सबसे अच्छा अवसर" और वाक्यांश "जितनी जल्दी हो सके" अर्थात्, आमतौर पर पांच दिनों के भीतर और असाधारण परिस्थितियों में 10 दिनों के भीतर इस प्रकार यह देखा जाएगा कि बंदी उन आधारों को प्रदान करने का हकदार है जिन पर हिरासत का आदेश दिया गया है और उसे उचित सरकार को आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का जल्द से जल्द अवसर प्रदान करने की दृष्टि से हिरासत के आधार आमतौर पर उस निर्धारित अवधि के भीतर प्रदान किये जाने चाहिए। जिस अवधि के दौरान हिरासत के आधार प्रदान किये जाने हैं, उसका भी संकेत दिया गया है। आधार को यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा, अर्थात्, आमतौर पर पांच दिनों के बाद नहीं। दूसरे शब्दों में हिरासत में लिये गये व्यक्ति को हिरासत के आधार प्रदान करने के लिए कानून द्वारा पांच दिनों की सीमा निर्धारित की गयी है। यदि असाधारण परिस्थितियों की प्रशासनिक अनिवार्यताओं के कारण, हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी आधार की सूचना नहीं दे सका, तो उसे पहले भाग में परिकल्पित अनुसार पांच दिनों के भीतर आधार की आपूर्ति न करने के कारणों को दर्ज करना चाहिए। ऐसी कौन सी असाधारण परिस्थितियां हैं जिनके कारण हिरासत का आधार पांच दिनों के भीतर प्रदान नहीं किया जा सका, लेकिन हिरासत की तारीख से दस दिनों के भीतर किया गया, यह हमेशा तथ्य का प्रश्न है। ए०के० राय बनाम भारत संघ व अन्य (1982) 1 SCC 271= (1983) 1 SCR 540 में इस न्यायालय की संविधान पीठ धारा 8(1) की संवैधानिकता पर विचार करना आवश्यक था। इस संबंध में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि;

धारा 8(1) में निहित प्रावधानों के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की आपत्ति यह है कि यह हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को हिरासत में लेने की तारीख के पांच दिन बाद और असाधारण मामलों में हिरासत की तारीख के दस दिन बाद हिरासत में लेने के आधार प्रस्तुत करने की अनुचित रूप से अनुमति देता है। यह तर्क स्पष्ट करता है कि धारा 8(1) की प्राथमिक आवश्यकता यह है कि हिरासत का आदेश देने वाला प्राधिकारी यथाशीघ्र हिरासत में लिए गये व्यक्ति को हिरासत के आधार के बारे में सूचित करेगा। इसलिए सामान्य नियम यह है कि हिरासत का आधार हिरासत में लिए गये व्यक्ति को बिना किसी टालने योग्य देरी के सूचित किया जाना चाहिए। यह केवल असाधारण परिस्थितियों में प्रशासनिक मामलों की व्यावहारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को हिरासत के आधार के बारे में सूचित करने की अनुमति आमतौर पर पांच दिनों के पहले और दस दिनों से अधिक नहीं दी जाती है। यदि ऐसी कोई परिस्थितियां हैं, तो धारा 8(1) के अनुसार हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को इसके कारणों को लिखित रूप से दर्ज करना आवश्यक है। हमें नहीं लगता कि यह प्रावधान किसी भी आपत्ति के लिए खुला है।

इस प्रकार यह देखा जायेगा कि आधार की आपूर्ति की आवश्यकता, जितनी जल्दी हो सके, यह इंगित करती है कि आमतौर पर बंदी पांच दिनों के भीतर हिरासत के आधार के बारे में सूचित किए जाने का हकदार है। असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए कानून ने प्रशासन को एक लाभ दिया और उसे लिखित रूप से कारणों को दर्ज करने का निर्देश दिया और प्रशासन को दस दिन की समाप्ति से पहले हिरासत के आधारों को सूचित करना चाहिए। अतः देरी असाधारण होनी चाहिए और उन असाधारण

परिस्थितियों को लिखिक रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक मामले में वह असाधारण परिस्थितियां क्या हैं यह सदैव तथ्य का प्रश्न है। दस दिनों की समाप्ति से पहले लेकिन पांच दिनों की समाप्ति के बाद हिरासत के आधार की सूचना अनिवार्य है। यह सुस्थापित विधिक स्थिति है कि वाक्यांश "जितनी जल्दी हो सके" एक उचित प्रेषण के भीतर होता है जब कोई टालने योग्य देरी नहीं होती है। असाधारण परिस्थितियां क्या हैं यह सदैव तथ्य का प्रश्न होता है।

प्रश्न यह है: क्या असाधारण परिस्थितियों की गैर-आपूर्ति और पांच दिनों की समाप्ति से पहले हिरासत के आधारों की आपूर्ति न करने के लिए दर्ज किये गये कारण, लेकिन दस दिनों की बाहरी सीमा के भीतर हिरासत के आधारों के साथ हिरासत के आदेश को दूषित करता है? डिवीजन बेंच ने यह विचार किया है कि बंदी के पास उचित सरकार या सलाहकार बोर्ड के समक्ष हिरासत के आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व का एक मूल्यवान अधिकार है जब तक कि असाधारण परिस्थितियों और हिरासत के आधार और उसके समर्थन में दस्तावेजों की आपूर्ति न करने के कारणों को आवश्यक निहितार्थ द्वारा जल्द से जल्द अवसर पर प्रतिनिधित्व का मूल्यवान अधिकार जैसा कि अनुच्छेद 22(5) के तहत परिकल्पित किया गया है, हिरासत में लिए गये व्यक्ति को सूचित नहीं किया जाता है, उल्लंघन किया गया है। जिससे बंदी नजरबंदी से रिहा होने का हकदार हो जाता है। यह देखा जा सकता है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा प्राप्त व्यक्तिपरक संतुष्टि के समर्थन में दस्तावेजों के साथ-साथ हिरासत में लिए गये व्यक्ति को हिरासत के आधार की सूचना देना तात्त्विक और अनिवार्य है। जब हिरासत में लिए गये व्यक्ति द्वारा उचित सरकार या सलाहकार बोर्ड को अभ्यावेदन दिया गया है, तो उसके लिए हिरासत के आदेश को चुनौती देने का यह एक आधार हो सकता है कि उसे निर्धारित समय के भीतर आधार प्रदान नहीं किये गये थे और इस प्रकार उसे अनुचित तरीके से युक्तियुक्त आधार के बिना हिरासत में लिया गया। जब ऐसा कोई आधार उठाया गया है और विचार के लिए बल दिया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को किसी भी मामले की कार्यवाही में उचित सरकार या सलाहकार बोर्ड को संतुष्ट करना होगा कि असाधारण परिस्थितियां वे हैं जिनके तहत आधार और दस्तावेज बंदी को प्राप्त नहीं कराए जा सके। यदि उचित सरकार, सलाहकार बोर्ड या न्यायालय उन कारणों से संतुष्ट नहीं है जिस कारण पांच दिन के भीतर गिरफ्तारी के कारण को सूचित नहीं किया गया लेकिन दस दिन के बाद उन असाधारण परिस्थितियों को अभिलिखित किया गया तब वह एक ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसमें उचित सरकार, सलाहकार बोर्ड या न्यायालय यह मान सकेगा कि क्या निरुद्ध आदेश दूषित है अथवा संविधान के अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन है। लेकिन चूंकि अधिनियम में असाधारण परिस्थितियों के संचार की परिकल्पना नहीं की गयी है और आधारों की गैर-आपूर्ति के लिए दर्ज किये गये कारणों को गैर-संचार या उनके गैर आपूर्ति का आधार अपने आप में रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, यह संविधान के अनुच्छेद 22(5) के अंतर्गत हिरासत के आदेश का उल्लंघन है। इसलिए डिवीजन बेंच यह निष्कर्ष निकालने में सही नहीं थी कि हिरासत में लिए गये व्यक्ति को असाधारण परिस्थितियों के आधारों की आपूर्ति न करने और हिरासत के आधारों की आपूर्ति न करने के लिए दर्ज किये गये कारणों के लिए जल्द से जल्द अवसर पर प्रतिनिधित्व करने से वंचित कर दिया गया है। इस प्रकार हमारा मानना है कि बट्टी के मामले में अपनाया गया विचार कानून की दृष्टि से सही नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट ने 11 जनवरी, 1987 की अपनी कार्यवाही में निम्नानुसार दर्ज किया है:

“प्रभारी अधिकारी (न्यायिक) ने सूचित किया है कि अब तक के मामलों में दो तिहाई छाया प्रतियां तैयार की गयी है और प्रतियों के अभाव में निर्धारित समय न्यूनतम पांच दिन की अवधि की सीमा समाप्त होने से पहले हिरासत में लिए गये लोगों को हिरासत में रखने का आधार प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। चूंकि सभी 35 मामलों में लगभग 16,000 छाया प्रतियां तैयार की जानी है और सेट भी तैयार किया जाना है लेकिन बार-बार बिजली की विफलता, उतार-चढ़ाव के कारण; निजी मशीन होने के कारण उसके मालिक को बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और अतिरिक्त समय के लिए काम करने के कारण काम पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 8(1) के तहत प्रावधानित, हिरासत में लिए गये लोगों को हिरासत के आधार प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम दस दिनों की अवधि का उपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकार को इस निर्णय की जानकारी दे दी गयी है।”

उसमें उल्लिखित आधारों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि जिला मजिस्ट्रेट को उन असाधारण परिस्थितियों में रोका गया था जैसा कि कार्यवाही में दर्ज किया गया था कि हिरासत के आधार और उसके समर्थन में दस्तावेज पांच दिनों के भीतर हिरासत में लिये गये व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराये जा सके। लेकिन इसकी आपूर्ति दस दिनों के भीतर की जानी थी, जैसा कि अधिनियम की धारा 8(1) में परिकल्पित है। इसलिए उच्च न्यायालय का यह आदेश कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किये गये कारणों के रूप में असाधारण परिस्थिति के आधार की सूचना न देना हिरासत के आदेश को दूषित कर देती है, विधिक दृष्टिकोण से उचित नहीं था। चूंकि एक वर्ष की हिरासत का समय समय के साथ समाप्त हो गया है, इसलिए हम आदेश में हस्तक्षेप करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

तदनुसार अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

अपील स्वीकार की गई।

Vetted By-

(Shilpi Chauhan)

Addl. Chief Judicial , Magistrate 1st,
Jaunpur .